डीजी-परिपत्र संख्या-13/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मार्च 29, 2018

विषय : विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा गया है कि जनपदों के थानों में पंजीकृत अभियोग की विवेचना कई बार एक थाने से दूसरे थाने में स्थानान्तरित कर दी जाती है तथा यह भी संज्ञान में आया है कि विवेचनाओं का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारियों द्वारा नही किया जाता है। सामान्यतः आरोपी पक्ष के कथन पर विवेचनायें स्थानान्तरित न की जाये। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में बिना किसी ठोस आधार के आरोपी पक्ष के कहने पर विवेचना स्थानान्तरण होने से ऐसा संदेश जाता है कि आरोपियों की सहायता के उद्देश्य से ये हो रहा है। विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अभी भी प्रभावी ढ़ग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वादी के साथ भी न्याय हित सर्वोपरि होता है, इसे दृष्टि मे रखते हुए विवेचना को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बजाय पुलिस को चाहिए की गुण-दोष एवं साक्ष्य के आधार पर पूर्ण निष्पक्षता से विवेचनात्मक कार्यवाही की जाये।

डीजी-परिपत्र संख्या-54/05 दिनांक 23.12.2005
डीजी-परिपत्र संख्या-15/06 दिनांक 06.05.2006
डीजी-परिपत्र संख्या-32/06 दिनांक 08.09.2006
डीजी-परिपत्र संख्या-85/07 दिनांक 26.09.2007
डीजी-परिपत्र संख्या-64/08 दिनांक 19.06.2008
डीजी-परिपत्र संख्या-69/12 दिनांक 04.02.2012
डीजी-परिपत्र संख्या-27/14 दिनांक 10.05.2014

आप सहमत होगें कि पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आप का प्रथम दायित्व विवेचनाओं का सही निस्तारण सुनिश्चित कराना है। विवेचनाओं के बार-बार स्थानान्तरण से इनके निस्तारण में समय लगने, अनेक विवादों के जन्म लेने तथा विवेचकों द्वारा मनमाने ढ़ग से विवेचना किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

मैं चाहूँगा कि पूर्व में निर्गत निर्देशों का निकटता से अध्ययन कर लें, आप स्वयं विवेचक का सही मार्गदर्शन करें, ताकि उनके द्वारा स्थानान्तरित विवेचना निष्पक्षता से शीघ्र पूर्ण हो जायें। अनावश्यक रूप से जनपद में विवेचना लम्बे समय तक लम्बित न रहे। प्रत्येक माह स्थानान्तरित सभी विवेचनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए गुण दोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारण करायें तथा विवेचनाओं को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के लिए दोषी विवेचकों के विरूद्ध कार्यवाही करें। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों की भी लापरवाही की समीक्षा की जानी चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,
29.3.18
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।